राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3(ख)ए–154 / 2013 / अलेसे– ।। / 3516 दिनांकः– 27/05/2024

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 65 / 2017–18 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा श्री अंकित कुडी (लिंक नं0 9986) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति देते हुए कार्यालय उपकोषाधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की पालना में श्री अंकित कुडी द्वारा दिनांक 14.07.2017 को कार्यग्रहण किया गया। वर्तमान में श्री अंकित कुडी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।। के पद पर कार्यरत है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर के पत्र दिनांक 27.05.2024 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित श्री अंकित कुडी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।। के प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया है कि श्री अंकित कुडी के राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त परीक्षा वर्ष 2021 में राजस्थान पुलिस सेवा हेतु चयन हो जाने पर संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस), राजस्थान सरकार गृह विभाग (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.5(4)गृह–1 / 2024(18780) दिनांक 24.05.2024 द्वारा एच.सी.एम. रीपा में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री अंकित कुडी के द्वारा नवचयन पद पर कार्यग्रहण करने हेतु वर्तमान धारित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।। के पद से कार्यमुक्त करने का निवेदन किया है। अतः श्री अंकित कुडी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।। के आवेदन के आधार पर उनको नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने हेतु वर्तमान धारित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।। के पद से एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है। श्री अंकित कुडी का वर्तमान धारित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।। के पद पर नियमानुसार लियन रहेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(ख)ए–154 / 2013 / अलेसे– ।। / 3516 दिनांकः– 27/05/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस), राजस्थान सरकार गृह विभाग (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।
2. कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
4. श्री अंकित कुडी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।।, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा।
6. पदस्थापन सीट / निजी / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)